न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 32/2013

अपीलांट

1. मांगीलाल पुत्र बुद्धारामजी
2. दिनेश पुत्र बुद्धारामजी
3. जिया देवी पत्नी बुद्धारामजी
4. गंगाराम पुत्र पैलादजी
5. रतनाराम पुत्र पैलादजी
6. मंगलीदेवी पत्नी पैलादजी जातियान विश्नोई, निवासीगण करवाडा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. पुनमाराम पुत्र मना, कौम लुहार, साकिन करवाडा, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर।
2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री जगदीश गोदारा, पारसमल बराडा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री निखिल दवे काजी रेस्पोडेन्ट
राजपैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16/1/2020

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2012 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2013 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 47 रकबा 1.16 हैक्टर में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 55 रकबा 2.43 हैक्टर में से 15 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना प्रस्तुत किया एवं उक्त धारा के अन्तर्गत अपीलांटगण को अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने रास्ते दिये जाने का न्यायालय का कर्तव्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब में जाहिर किया किया कि अपीलांटगण को जाने के लिये नजदीकी रास्ता खसरा नंबर 38 व 41 के दक्षिणी माठ के सहारे दिया जाना उचित है, जबकि उक्त रास्ता खसरा नंबर 38 व 41 से होते हुए खसरा नंबर 47 में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा जो रास्ता बताया गया है, उसकी दूरी ज्यादा है। अगर अप्रार्थी के कथनानुसार रास्ता दिया जाता है तो खसरा नंबर 38, 41, 42, 48 से होते हुए अपीलांट की खातेदारी में जायेगा, जिसकी दूरी ज्यादा है। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश में उक्त रास्ते का अंकन किया है, किन्तु उक्त रास्ता ज्यादा दूर होने से दिया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात चल रहे रास्ते पर मकान का निर्माण किया है। यदि मकान का निर्माण पूर्व किया होता तो पटवारी हल्का द्वारा मकान का तरमीम कर उक्त भूमि में से ढाणी का अलग खसरा नंबर दर्शित होता। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र अपीलांटगण को रास्ता नहीं दिये जाने की मंशा से रातोरात एक सीमेंट की ईटो की ओरडी निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.04.2013 को मौका देखा गया, जिसके अनुसार खसरा नंबर 67 की माठ पर ईटो का मकान बना हुआ है एवं खसरा नंबर 64 व 67 में से अगर रास्ता दिया जाये तो अन्दर की माठ पर किसी का अवरोध नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त फर्द मौका का कोई निरीक्षण नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका फर्द से परे जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 47 रकबा 1.16 हैक्टर में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 55 रकबा 2.43 हैक्टर में से 15 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु खसरा नंबर 29 से होते हुए खसरा नंबर 38 व 41 के दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाता है तो अपीलांट की खातेदारी में पहुचने हेतु कम आराजी की आवश्यकता पडती है एवं अपीलांटगण पूर्व में अपनी आराजी में इसी रास्ते से आते जाते रहे है। अपीलांट को खसरा नंबर 38 व 41 के खातेदारो से रास्ते की मांग की जानी चाहिये, किन्तु अपीलांटगण ने रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी में से रास्ता लेने हेतु गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त अपीलांटगण ने रेस्पोडेन्टगण के जिसे खसरो से रास्ते की मांग की है उक्त खसरो में रेस्पोडेन्ट का आवासीय मकान बना हुआ है। जिससे रेस्पोडेन्ट की खातेदारी आराजी से अपीलांटगण को रास्ता दिया जाना कानूनन उचित नहीं है। अपीलांटगण के पास खसरा नंबर 38 व 41 में से होते हुए अपनी खातेदारी आराजी में आने–जाने हेतु रास्ता मौजूद होने के बावजूद उक्त तथ्यो को छुपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त मौका रिपोर्ट का ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 47 रकबा 1.16 हैक्टर में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 55 रकबा 2.43 हैक्टर में से 15 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी सरहद मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 47 रकबा 1.16 हैक्टर में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 55 रकबा 2.43 हैक्टर में से 15 फीट चौडा रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त रास्ते के संबध में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

तहसीलदार रानीवाडा से मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर तहसीलदार रानीवाडा ने फर्द मौका दिनांक 08.04.2013 में यह अंकन किया है कि "खसरा नंबर 47 में आने हेतु रास्ते की मांग सडके से खसरा नंबर 55 रकबा 2.43 हैक्टर में से की गई थी, इस खसरे में खसरा नंबर 67 की माठ की तरफ खातेदार के पक्का सीमेंट की ईटां का मकान बना हुआ है। खसरा नंबर 64 व 67 में से अगर रास्ता दिया जाता है तो अन्दर की माठ पर किसी प्रकार का अवरोध नहीं है।" इसके अतिरिक्त उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलांटगण की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं दर्शाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट से परे जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 08.04.2013 के अन्तर्गत अपीलांट की खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं दर्शाया है। हालांकि मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ते में आवासीय मकान बने होने का अंकन है। जिससे उक्त आवासीय मकान को छोडते हुए रास्ता दिया जाना उचित है। अत अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट (अ) में मार्क ए से बी तक दर्शाया गया 15 फीट चौडा रास्ता (आवासीय मकान छोडते हुए) दिया जाना कानूनन उचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 ए की मंशा को अनदेखा करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38/2012 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2013 अपास्त किया जाता है। अपीलांटगण को अपनी खातेदारी भूमि सरहद मौजा करवाडा तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 47 रकबा 1.16 हैक्टर में आने जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 55 रकबा 2.43 हैक्टर में आवासीय मकान को छोडते हुए नक्शा परिशिष्ट (अ) में मार्क ए से बी तक 15 फीट चौडा रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार कानूनी प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए कार्यवाही करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/1/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर